

12.01.2024:-पत्रावली आज वादी जरिये अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी कि ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया जो शामिल किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण मे वादपत्र मे वादी कोई कार्यवाही नही चाहता। अतः वादपत्र वर्तमान विद्धा फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन फर्द अहकाम पर वादीग के अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी कि पहचान वादी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा कि गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर

उक्त प्रकरण उपर्युक्त अधिकारी माता काद कारागारा नहा
हनुमानगढ

